बाद से बहुत से चकमा आदिवासी त्रिपुरा में घुस आए हैं । मई, 1992 में बंगलादेश की प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा के समय इस बारे में किसी निश्चित समय-सीमा पर सहमति नहीं हो पाई थी फिर भी यह सहमति हुई कि उनको स्वदेश वापस भेजने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी । इस उद्देश्य के लिए बंगलादेश सरकार ने चकमा शरणार्थियों को शीघ्र वापसी सहित "चटगांव हिल ट्रेक्ट्स" (सी एच टी) की समस्याओं को सुलझाने के लिए राजनैतिक दलों का एक 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है ।

त्रिपुरा में इस समय रह रहे चकमा शरणार्थियों के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार को दी जा रही वित्तीय सहायता को स्थगित करने के लिए भारत सरकार ने आदेश जारी नहीं किए हैं । चकमा शरणार्थियों के भरण-पोषण के लिए राज्य सरकार को अब तक 41.50 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है ।

विदेशी सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों के बारे में जानकारी

2131. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों से सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों के संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी मांगी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्य इस संबंध में सरकार को जानकारी भेज चुके हैं और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अब तक यह जानकारी नहीं भेजी है और उनसे कब तक यह जानकारी भेजने के लिए कहा गया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) से (ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से, जब कभी भी आवश्यक होता है तो, राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी जाती है । तथापि उन्हें सलाह दी गई है कि वे अधिनियम के अंतर्गत आने वाली एसोसिएशनों की गतिविधियों पर नजर रखें ।

चाय कर्मकारों की स्थिति

2132. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या श्रम मंत्री 30 नवम्बर, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1138 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय कर्मकारों को दी जाने वाली धनराशि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है; और

(ग) यदि हां, तो चाय कर्मकारों की मजदूरी में वृद्धि करने संबंधी मामले में अभी तक कितनी सफलता मिली है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घटोवार) : (क) से (ग) 30 नवम्बर, 1992 को राज्य सभा में प्रश्न संख्या 1138 के उत्तर में चाय बागानों में कर्मकारों की औसत दैनिक आय के बारे में दी गई सूचना श्रम ब्यूरो द्वारा 1985-90 के दौरान 3 बागानों में किए गए व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के चौथे दौर पर आधारित थी । इसलिए यह सूचना सभी चाय बागानों अथवा सभी राज्यों के चाय बागान श्रमिकों की सही स्थिति को नहीं दर्शाती है । सर्वेक्षण की प्रतियां सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई हैं । चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन समुचित सरकार हैं ।

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी से प्राप्त अभ्यावेदन

2133. **डा. बापू कालदाते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :